

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(6)गृह-1/2024 (20504)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 11.02.2025 को आयोजित बैठक की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की सीनियर स्केल में वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के प्रति निम्नांकित अधिकारियों को एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

श्री कुशलराम चौरड़िया, एससी के विरुद्ध विचाराधीन एसीबी प्रकरण संख्या 04/13 में मा0 न्यायालय न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर ने दिनांक 30.07.2024 को निर्णय पारित कर आरोपित सभी अपराध के लिए संदेह के लाभ में दोषमुक्त किये जाने एवं सेवाभिलेख पूर्ण होने के कारण राजस्थान पुलिस सेवा की सीनियर स्केल वर्ष 2021-22 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री भोमाराम/नबरंग लाल (एससी) के नीचे निर्धारित की जाती है।

श्रीमती नीरज कुमारी शर्मा के सेवाभिलेख पूर्ण होने के कारण राजस्थान पुलिस सेवा की सीनियर स्केल वर्ष 2021-22 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री रोशन लाल पटेल (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन है।

उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश राजोरिया)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

